



*Journal of Advances and
Scholarly Researches in
Allied Education*

*Vol. VI, Issue No. XII,
October-2013, ISSN 2230-
7540*

हर्टांग समिति (1927–1929) तथा लार्ड कर्जन (1904) की शिक्षा-नीतियों का विश्लेषण

AN
INTERNATIONALLY
INDEXED PEER
REVIEWED &
REFEREED JOURNAL

हर्टाग समिति (1927–1929) तथा लार्ड कर्जन (1904) की शिक्षा-नीतियों का विश्लेषण

Sudha Tomar

Research Scholar, Sai Nath University, Ranchi, Jharkhand

सार : — मानव के समग्र विकास तथा प्रगति में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज सम्पूर्ण विश्व यह स्वीकार करने लगा है कि हमारे भविष्य को आकार देने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है। मानव विकास का मूल साधन शिक्षा ही है, किसी भी राष्ट्र को नई दिशा दिखाने तथा समाज का उत्थान करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा को व्यक्तित्व विकास का सर्वाधिक प्रभावी आधार माना गया है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अज्ञान तथा शोषण से मुक्ति दिलाती है तथा वह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आन्तरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करता है। हमारे देश की शिक्षा को ऐतिहासिक दृष्टि से तीन कालों में विभाजित किया गया है प्राचीनकाल, मध्यकाल, आधुनिककाल। तीनों कालों की शिक्षा का अध्ययन करने के उपरान्त देखा गया है कि आधुनिक काल में शिक्षा के विकास का अध्ययन शिक्षा सम्बन्धी प्रस्तावों एवं नीतियों, शिक्षा आयोगों एवं समितियों के सुझावों और शिक्षा सम्बन्धी प्रयोगों के आधार पर किया गया है।

-----X-----

प्रस्तावना :

प्रस्तुत शोध में विभिन्न शिक्षा नीतियों के आलोचनात्मक अध्ययनों, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर प्रकाशित विभिन्न अभिलेखों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित अभिलेख, प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ जिलाशिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएँ राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित अभिलेख, राज्य शैक्षिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका अभिनव आदि सभी को द्वितीयक या गौण स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया गया है। भारत में ब्रिटिश राज्य अधिक फैल चुका था। ब्रिटिश अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय विद्वानों ने भी विभिन्न शिक्षा नीतियों प्रस्तुत की थी। लार्ड कर्जन ने केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना कर शिक्षा की व्यवस्था सुव्यवस्थित की। प्राथमिक शिक्षा में लार्ड कर्जन ने संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता देकर प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में अत्याधिक सुधार किया जिसका गुणात्मक उन्नयन भी हुआ। कर्जन द्वारा माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि के क्षेत्र में नैतिक व धार्मिक शिक्षा में काफी उन्नति की गई भारतीयों को ही न समझने के कारण भारतीय लार्ड कर्जन से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं थे।

प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए इसके लिए पृथक विभाग भी स्थापित किया गया गोखले ने भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने के नियम उन्ही क्षेत्रों में लागू किये जिनमें एक प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हर्टाग समिति का पिछले 50 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत कम रहा। हर्टाग समिति ने बुद्ध घोषणा पत्र में उठाई प्राथमिक शिक्षा की समस्या अपव्यय और अवसरों धन के कारण की खोज की और उसके समाधान भी किये इस समिति द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अधिक प्रयास नहीं किये गये।

बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की प्रमुख देन है देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान शिक्षा है यह प्रायः अनुभवों पर आधारित है। इस शिक्षा में 'समवायी शिक्षण विधि' का प्रयोग किया गया है। बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी द्वारा शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया है। वर्धा योजना को भारत की निरक्षरता की महान समस्या का समाधान करने के लिए अब तक किये जाने वाले प्रयासों में साहसी और सम्पूर्ण माना गया है बुनियादी शिक्षा में प्रायः हस्तशिल्प को अधिक महत्व दिया गया है आज मशीनों का युग है प्रायः हस्तशिल्पी शिक्षा का प्रचार-प्रसार कम ही हो रहा है।

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में ब्रिटिश राज्य पूर्णतः अपनी जड़े जमा चुका था। इस समय ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित शिक्षा-नीतियाँ अधिक प्रचलित थी। इनके साथ-साथ भारतीय विद्वानों ने भी विभिन्न शिक्षा-नीतियाँ प्रस्तुत की थी। 11 मार्च सन् 1904 ई० को लार्ड कर्जन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा-नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया गया। इसके पश्चात् 'गोपाल कृष्ण गोखले' ने सन् 1910 ई० में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में गोखले विधेयक प्रस्तुत किया था। सन् 1929 ई० में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित हर्टाग समिति भी गठित की गई थी।

सन् 1937 ई० में महात्मा गाँधी ने वर्धा शिक्षा-सम्मेलन में बेसिक शिक्षा योजना (बुनियादी तालीम) प्रस्तुत की थी। इसको नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। डॉ० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा में प्रस्तावित शिक्षा योजना को अन्तिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे 'जाकिर हुसैन समिति' कहा जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की थी। प्रथम रिपोर्ट दिसम्बर सन् 1937 ई० तथा दूसरी रिपोर्ट अप्रैल, सन् 1938 ई० में प्रस्तुत की थी।

इसके पश्चात् बम्बई प्रान्त के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री बी०जी० खैर की अध्यक्षता में खैर समिति सन् 1938 ई० का गठन किया गया जिसमें बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में काफी सुझाव दिये। बेसिक शिक्षा को प्रान्तीय सन्दर्भ में देखने समझने और उसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के लिए आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे आचार्य नरेन्द्रदेव समिति सन् 1939 ई० के नाम से जाना जाता है। भारत में शिक्षा के विकास हेतु बोर्ड ने 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट' तैयार की गयी। इस 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेन्ट थे। यह योजना उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार की गई थी तथा उन्हीं के नाम पर इसे 'सार्जेन्ट योजना' सन् 1944 ई० कहते हैं।

हर्टांग समिति, 1927–1929 :

भारतीय नेता दोहरी शासन व्यवस्था से सहमत नहीं थे इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने सन 1919 ई० में असहयोग आन्दोलन चलाया। तभी राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन भी चल रहा था। ब्रिटिश संसद ने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रगति की समीक्षा करने के लिये 8 नवम्बर, सन 1927ई० को सरजोन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन से भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव देने के लिए कहा गया। साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक सहायक समिति ;।नगपससंतल. ब्उउपजजममद्ध का गठन किया। हर्टांग ँपत चैपसपच दृ भ्तजवहद्ध को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष के नाम पर इस समिति को हर्टांग समिति कहा जाता है।

हर्टांग को भारतीय शिक्षा के विषय में पहले से ही पर्याप्त जानकारी था। उनकी अध्यक्षता में इस समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा की नीति, प्रशासन और स्वरूप का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद 11 सितम्बर, सन 1929 ई० को अपना प्रतिवेदन साइमन कमीशन को प्रस्तुत कर दिया।

हर्टांग समिति की नीति तथा सुझाव :

हर्टांग समिति के प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव : हर्टांग समिति का पिछले 50 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत कम रहा। साक्षरता प्रतिशत बढ़ने के स्थान पर घटा था। हर्टांग समिति ने देखा कि प्राथमिक स्तर पर अपव्यय ;जंहमद्ध और अवरोधन ;जंहदंजपवदद्ध बहुत अधिक था समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के पूर्व ही बच्चे का स्कूल से हट जाना अपव्यय है और किसी बच्चे का एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक रुकना अवरोधन है। समिति ने प्राथमिक शिक्षा के इस स्तर पर अपव्यय और अवरोधन के निम्नलिखित कारण बताये : प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है।

प्राथमिक विद्यालयों का वितरण ठीक नहीं है, पिछड़े क्षेत्रों में इनकी संख्या बहुत कम है तथा प्राथमिक विद्यालयों में अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है जिनमें बच्चे रुचि नहीं लेते। प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। छात्रों को दूर-दूर पढ़ने जाना होता है। वे स्कूलों में प्रवेश तो लेता है पर बीच में ही छोड़ देते हैं। अधिकतर प्राथमिक विद्यालय एक अध्यापिकाय है।

ग्रामों में विद्यालयों के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं होते, शिक्षिकाओं की तो और भी अधिक कमी है व जो विद्यालय दूर हैं, वे अनियमित रूप से चलते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के अधिकतर शिक्षक न तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त हैं और न शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त हैं। अधिकतर भारतवासी निर्धन व अशिक्षित हैं जो शिक्षा के महत्व को न समझकर अपने बच्चों को प्रारम्भ से ही मजदूरी कराने के लिए विवश हैं। समिति ने प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :-

- ❖ प्राथमिक शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाए और उनके वेतन बढ़ाये जायें।
- ❖ प्राथमिक शिक्षा को भारत में पूर्णतया स्थानीय निकायों पर न छोड़ा जायें।
- ❖ प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम अवधि 4 वर्ष की जाये।
- ❖ प्राथमिक विद्यालयों में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।
- ❖ प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी विषयों को स्थान दिया जाये।
- ❖ प्राथमिक विद्यालयों को मनोरंजन, ग्राम सुधार और प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र बनाया जाये।
- ❖ प्रारम्भ से ही अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए प्रयत्न किया जाये।
- ❖ प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के स्तर के स्तर को ऊँचा उठाया जाये और सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष कोर्स शुरू किए जाये।

माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव :

हर्टांग समिति ने माध्यमिक शिक्षा में दो कमियाँ पायी। पहली-माध्यमिक शिक्षा का परीक्षा-प्रधान होना और दूसरी-माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि होना। समिति की सम्मति में इन दोनों कमियों के बहुत से कारण रहे हैं। जैसे-

- ❖ मिडिल स्कूलों का निम्न शैक्षिक स्तर,
- ❖ माध्यमिक शिक्षा में विस्तार किया गया,
- ❖ मिडिल स्कूलों का निम्न शैक्षिक स्तर रहा ,
- ❖ कक्षा 10 से पहले कक्षावृत्ति उदारता थी,
- ❖ उपयुक्त शैक्षिक योग्यता और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की कमी थी।

उच्च शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव :

हर्टांग समिति ने तत्कालीन उच्च शिक्षा की संख्यात्मक प्रगति को तो संतोषजनक बताया, परन्तु उसके गुणात्मक स्तर में गिरावट

के प्रति चिन्ता व्यक्त की। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट किया कि यह शिक्षा केवल सैद्धान्तिक है, इससे शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। समिति ने उच्च शिक्षा की काफी कमियाँ बतायी हैं।

विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के बीच उचित तालमेल नहीं है। तथा पुस्तकालयों की उचित व्यवस्था नहीं है। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में इण्टरमीडिएट पास किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश दे दिया जाता है, इसलिए छात्रों की संख्या अधिक हो जाती है। विश्वविद्यालय में रोजगार कार्यालय, उच्चसवलउमदज टनतमनद्ध खोले जायें जो छात्रों को नौकरी के अवसरों की जानकारी दें और नौकरी प्राप्त करने में सहायता करें। तथा जिसमें उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जा सके। सम्बद्ध कालेजों के प्राध्यापकों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालयों पर हो, केवल योग्य प्राध्यापक ही नियुक्त किये जाने चाहिए।

हर्टाग समिति का विश्लेषण एवं व्याख्या :

हर्टाग समिति के प्रतिवेदन में अधिकांशता पूर्ववत् बातों को ही दोहराया गया है, परन्तु इसमें कुछ विशेषताएँ भी रही हैं जो इस प्रकार से हैं :-

हर्टाग समिति ने बुड के घोषणा पत्र में उठाई प्राथमिक शिक्षा की समस्या अपव्यय और अवरोधन के कारणों की खोज की और उसके समाधान भी किए गये हैं। "माध्यमिक स्तर की शिक्षा को परीक्षा प्रधान के स्थान पर व्यवसाय प्रधान बनाने पर बल दिया तथा उच्च शिक्षा में व्यावसायिक एवं तकनीकी विषयों पर बल देकर शिक्षित, बेरोजगारी को बढ़ने से रोका गया" परन्तु इस समिति के सुझाव निरर्थक हैं, जैसे-प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने में शीघ्रता की गई थी और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रमों में धनोपार्जन सम्बन्धी कौशलों का समावेश किया गया और किसी स्तर की शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा के प्रसार करने के स्थान उसके सिर को उठाया जाए पर हर्टाग समिति द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किए गये इस समिति के सुझाव प्रायः स्पष्ट नहीं हो सके।

लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति: (1904) :

"लार्ड कर्जन ने 'शिमला शिक्षा-सम्मेलन, सन् 1901 ई० में पारित प्रस्तावों के आधार पर एक शिक्षा-नीति तैयार की और 11 मार्च, सन् 1904 ई० को उसे एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। शिक्षा-नीति सम्बन्धी इस प्रस्ताव में सर्वप्रथम तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया गया' और उसके बाद उसमें सुधार हेतु नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई।"

शिक्षा नीति, सन् 1904 ई० सम्बन्धी सुझावों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा सुझाव :

- ❖ प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाए। इसमें भारतीय भाषाओं को मुख्य स्थान दिया जाए, अँग्रेजी को इससे हटा दिया

जाए, शारीरिक व्यायाम अनिवार्य किया जाए और कुछ उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए।

- ❖ "प्राथमिक शिक्षा के प्रति कम ध्यान दिया गया है और उसके प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अतः उसका प्रसार करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है।"
- ❖ स्थानीय निकाय प्राथमिक शिक्षा-कोष को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करें। प्रान्तीय सरकारें इन्हे आवश्यकतानुसार अनुदान दें। यह अनुदान परीक्षाफल पर आधारित न होकर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाए और प्रान्तीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत वहन करें।
- ❖ प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए, और उनके वेतन में वृद्धि की जाए।
- ❖ प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए और किण्डर गार्डन प्रणाली का प्रयोग किया जाए।

माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी नीति तथा सुझाव :

- ❖ जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय चलाए जा रहे हैं उनको गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालयों की भूमिका अदा करनी चाहिये।
- ❖ इनके पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिये।
- ❖ सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिये।
- ❖ माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकृत करने के नियम कठोर किए जाने चाहिये।
- ❖ "गैरसरकारी (अनुदान प्राप्त अथवा अप्राप्त) सभी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता लेना आवश्यक होगा।"

उच्च शिक्षा-सम्बन्धी नीति अथवा सुझाव :

उच्च शिक्षा में बाह्य परीक्षाओं का महत्व कम करके महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिये तथा उच्च शिक्षा के विस्तार और उन्नयन के लिए आवश्यक धनराशि बढ़ाई जानी चाहिये।

लार्ड कर्जन के अन्य शैक्षिक-कार्य :

लार्ड कर्जन ने अनेक शैक्षिक कार्य किए उन्होंने केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की लार्ड कर्जन ने जीविकोपार्जन सम्बन्धी

पाठ्यक्रम शुरू कराए तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी कलाओं और शिल्पों के शिक्षण की व्यवस्था कराई।

लार्ड कर्जन ने 'पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904' पारित किया जिसके अनुसार भारत सरकार में 'पुरातत्व-विभाग' की स्थापना हुई।

लार्ड कर्जन ने भारत में कृषि शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व को भी समझा। लार्ड कर्जन ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा दी जाये तथा उन्होंने नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया।

लार्ड कर्जन की शिक्षा-नीति का विश्लेषण एवं व्याख्या :

लार्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा के लिए जो मुख्य देन है वह इस प्रकार है।

- ❖ लार्ड कर्जन ने केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की जिससे शिक्षा की नीति लागू करना और शिक्षा की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से हुई।
- ❖ प्राथमिक शिक्षा में लॉर्ड कर्जन ने संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ा दी थी जिससे प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि हुई और गुणात्मक उन्नयन भी हुआ।
- ❖ माध्यमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए भी लॉर्ड कर्जन ने आर्थिक धनराशि भी बढ़ाई जिससे माध्यमिक विद्यालयों के स्तर में काफी सुधार हुआ।
- ❖ लार्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार किये तथा 'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904' को लागू किया।
- ❖ लॉर्ड कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में भी काफी सुधार किए और उन्होंने कृषि महाविद्यालयों की भी स्थापना की।
- ❖ लार्ड कर्जन ने धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के विवाद को भी हल किया।
- ❖ लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा में सुधार के लिए अनेक कदम उठाये परन्तु भारतीयों ने इन्हें उचित न माना क्योंकि वह भारतीयों को हीन समझता था। उनमें कुछ विपरीत ही रहे।

लार्ड कर्जन ने माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने और सहायता अनुदान देने की शर्तों को कुछ कठोर कर दी थी। इससे माध्यमिक शिक्षा का उतनी तेजी से विस्तार नहीं हो सका जितनी तेजी से होना चाहिए था। उन्होंने महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने के नियम भी कठोर किये थे, इससे उच्च-शिक्षा के प्रसार में भी बाधा पड़ रही थी। विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम हुई, उन पर सरकारी नियन्त्रण अधिक हो गया। शिक्षाविदों का शैक्षिक प्रयोग करने में बाधा हो रही थी जिसके परिणामस्वरूप सुधार में कमी आ गई। लार्ड कर्जन ने सरकार द्वारा नये विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव बिना रखे ही महाविद्यालयों की स्थापना की।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

भार्गव, महेश : आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन, आगरा, पुस्तक प्रकाशक 1982

राय, रामश्रे एण्ड अदस : प्रोब्लम्स इन रूरल डबलपमैन्ट , दिल्ली, डिशक्वरी पब्लिशिंग हाऊस 1985

राव, वी0 के0 आर0 बी0 : फूड न्यूट्रीशन एण्ड पावरटी इन इण्डिया न्यू दिल्ली, विकास 1982

मंगल, एस0 के0 एवं अन्य : समाज शिक्षा, नई दिल्ली, आर्य बुक डिपो, 1973

मंजूर अहमद एण्ड कोम्बस : एजुकेशन फार रूरल डबलपमैन्ट न्यूयार्क, प्रालेजर 1975

माथुर, एस0 एस0 : ए सोशोलॉजिस्ट एप्रोज टू इण्डिया एजुकेशन आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर

मिश्रा, एस0 एन0 एवं सुन्दरम, के0 वी0 : रूरल डबलपमैन्ट, केप्टिलिस्ट एण्ड सोशलिस्ट पथ्स (वोल्यूम 4) न्यू दिल्ली, कोनसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, 1985